

प्रेषित



पंजीकृत पावती, उल्लंघन पत्र भारत सरकार

Government of India खान मंत्रालय

Ministry of Mines भारतीय खान ब्यूरो

ndian Bureau of Mines

खान कोड संख्या : 97RAJ14002

Date-

माखुपूरा औद्वोगिक क्षेत्र,

Makhupura, Industrial Area

अजमेर.—305 002 (राजस्थान)

Ajmer- 305 002 (Rajastha

No RAJ/Jsl-23/SE-09

8h. Ashok Kumar Khatri,

Prop. of Sajit (217/13) Siliceous Earth Mine, Enko Ki Pol, Pokaran, Jaiselmer-302017. (Rajasthan)

राजस्थान राज्य के Jaiselmer जिले में स्थित आपकी Sajit (217/13) Siliceous Earth Mine, विषय: खान मे खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के नियमों का उल्लंघन

महोदय,

अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक 30/6/2021 को उपरोक्त खान के निरीक्षण में पाया गया है कि आपने खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 के निम्नलिखित उपबन्धों का उल्लंघन किया हैं। उल्लंघन के प्रकार का विस्तृत ब्यौरा नियम

The annual report of work carried out for reclamation to be submitted before 1 July each year has not been submitted for the year 2020-21. 26(2)

On examination of the annual return following discrepancies were observed 1. In Part I A, The total wages paid has been stated same as that of salaries to 45 (7) the supervisory staff, which appears to be incorrect. 2.In Part II A, the value of fixed assets had been stated as Zero, but in Part VII,

the depreciation of Rs. 57/- per tone has been stated.

3. In Part III, the figures of Royalty has been furnished as Rs. 120339, which divided by production of 700 T gives the cost of production as Rs. 171.92 in Part VII, but same has been stated as Rs. 102.00 in this case.

4. In Part III, The value of taxes & cesses stated as zero, but in part VII, same has been stated as Rs. 30.00 per tonne.

5. Part VII (cost of production): A direct cost of Rs. 605.31 has been furnished, whereas the direct cost as per expenses furnished in annual return is Rs. 376.34 per tones. It shows that you have submitted incomplete or wrong or false information in annual return.

02. इस संदर्भ में आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है कि उपरोक्त नियमों का उल्लंघन खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के नियम 62 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है।

आपकी खदान की सारी संक्रियाएं बंद की जा सकती है।

आपके विरूध्द अभियोग दायर किया जा सकता है। (ख)

अतः आपको सलाह दी जाती है कि आप उपरोक्त उल्लंघनों का अतिशीघ्र सुधार करें एवं इसके सुधार की स्थिति की सूचना इस पत्र के जारी होने की दिनांक से 45 (पैतालिस) दिनों के भीतर इस कार्यालय को सूचित करें।

> (एच.सी.शर्मा) वरिष्ठ सहायक खान नियंत्रक भारतीय खान ब्यूरो

प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित :-

1 खान नियंत्रक (उत्तर), भारतीय खान ब्यूरो, उदयपुर । (ई–मेल द्वारा) 2 निदेशक, खान एवं भूविज्ञान विभाग, राजस्थान सरकार, उदयपुर, राजस्थान।

3 खिन अभियंता, खान एवं भूविज्ञान विभाग, Jaiselmer, राजस्थान सरकार,।

4 रक्षित पत्रावली।

वरिष्ठ सहायक खान नियंत्रक भारतीय खान ब्यूरो